

आदर्श आचार संहिता

प्रलिस के ललल:

[आदर्श आचार संहिता, जन परतनलधलतलव अधनलनलतल, 1951, चुनलवी बॉणुड,](#)

मेनुस के ललल:

आदर्श आचार संहिता कल वकलस, चुनलवों में MCC कल महतुतुव और आलुकनलएँ। चुनलवी परथलएँ, चुनलवी सुधलर, MCC के मलधुतुतु से लुकतंतु सुनशलकुतल करनल, चुनलवी फंडगल

[सुरतु: इंडुतलन एकसपरस](#)

करुल में कुतुल?

हलल ही में [भलरत नरलवलकन आतुग](#) दुवलरल लुकसभल चुनलव 2024 के लतुल मतदलन कल तलरलखुु कल घुषणल के सलथ [आदर्श आचार संहिता](#) (MCC) ललगु हु गई है, कुु चुनलवी शलसन के एक महतुतुवतुूरण पहलु कुु कलहनलतल करतुल है।

MCC कुल है और इसकल वकलस कुल है?

परकुतल:

- MCC एक **सरुवसमत दसुतलवकु** है। रलकुनलतकल दल सुवतु चुनलव के दुरलरन अतुने आकुरण कुु नतुतुरतल रलखने और संहतल के भीतर कलम करनने पर सहमत हुए है।
- यह चुनलव आतुग कुु सुवधलन के **अनुकुकुद 324** के तहत दतुल गए कुनलदेश कुु धुतलन में रलखते हुए मदद करतल है, कुु उसे संसद और रलकुतु वधलनमंडलु के लतुल **सुवतंतुतु रतुथल नषलतकष चुनलवुु** कल नगलरलनल एतु सुंकललन करनने कल शकुतल देतल है।
- **MCC चुनलव कलरुतुकुरम कल घुषणल कल तलरलख से परणलतु कल घुषणल कल तलरलख तक कललु रलहतल है।**
- संहतल **ललगु रलहने के दुरलरन सरकलर कसलल वतलतुतुतु अनुदलन कल घुषणल** नही कर सकतुल, सडुकुुं तल अतुतु सुवधललु के नरलतुण कल वलदल नही कर सकतुल और न ही सरकलरल तल सलरुवकुनकल उतुकुरम में कुुई तदरुथ नतुतुकुतलकर सकतुल है।

MCC कल तुरुवरतनलतुतल:

- हलललंकल **MCC के तलस कुुई वधलनकल सतुतुन नही** है, लेकनल चुनलव आतुग दुवलरल इसके सखुत कलरुतलनुवतुन के कलरण तलकुले दशक में इसे तलकुत तललल है।
 - MCC के कुकु तुरुवलधलनुु कुु **भलरतुतुल दंड संहतल 1860, दंड तुरुकरतुतुल संहतल 1973** और **कुन परतनलधलतलव अधनलनलतल 1951** कुसे अतुतु कलनुनुु में सुंबंधतल तुरुवलधलनुु कुु ललगु करके ललगु कतुल कुल सकतल है।

MCC कल वकलस:

- **केरल चुनलव के लतुल आकलर संहतल अतुनलने वललल पहलल रलकुतु** थल। वरुष 1960 में रलकुतु में वधलन सभल चुनलवुु से पहले, तुरुशलसन ने कुुलुस, रलकुनलतकल रललतुलु और भलषणु कुसे चुनलव तुरुकलर के महतुतुवतुूरण पहलुलु कुु शलतलल करते हुए एक तसुुदल संहतल तलतलर कल।
- **वरुष 1974 में ECI** ने एक **ऑतलकलरकल MCC कलरुल कतुल** और सलथ ही इसके कलरुतलनुवतुन कल नगलरलनल के लतुल कुललल सुतुतु पर नुुकलरशलही नकलतु भी सुथलतलतल कतुल गए। **वरुष 1977 से तुरुव MCC केवल रलकुनलतकल दलुु और उतुतुलदवलरुु कल तलरुगदरुशन करतुल थल।**
- वरुष 1979 में नरलवलकन आतुग के संकुतुलन में आतुल कल **सतुतलरुदुद दल** सलरुवकुनकल सुथलनुु पर एकलधकलर सुथलतलतल करनने और वकुतुतुलतुन के लतुल सलरुवकुनकल धन कल उतुतुतुण कर **सतुतल कल दुरुतुतुण** कर रहे है। **नरलवलकन आतुग** ने सतुतलरुदुद रलकुनलतकल दलुु से सुंबंधतल इस तुदुदे कल सतुलधलन करनने हेतु **MCC में संशुधन कतुल।**
- संशुधतल MCC के सलत भलग शलतलल थे, कुनलतुु से एक भलग **नरलवलकन कल घुषणल के उतुरुलंत सतुतलरुदुद दलुु के वुतुवलर** से सुंबंधतल थल।
 - भलग I: उतुतुलदवलरुु और तलरुतुतुलु के लतुल सलतलनुतु अकुकुल वुतुवलर।
 - भलग II और III: सलरुवकुनकल तुरुकुुु और कुुलुसुु से सुंबंधतल नतुतुतु।
 - भलग IV और V: मतदलन के दनल और मतदलन कंडरुु पर वुतुवलर के लतुल दशलल-नरुदुदेश।
- MCC में वरुष 1979 के तलद से कई अवसरुु पर संशुधन कतुल गतुल। इसतुु नवलनतुतु संशुधन वरुष 2014 में कतुल गतुल थल।

MCC से संबंधित प्रमुख उपबंध:

- सामान्य आचरण:
 - कोई दल अथवा उम्मीदवार ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो भिन्न-भिन्न जातियों और समुदायों, चाहे वे धार्मिक या भाषायी हों, के बीच वदियमान मतभेद को और अधिक बगिड़े अथवा परस्पर घृणा उत्पन्न करे अथवा उनके बीच तनाव उत्पन्न करे।
 - इसी प्रकार, **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(3)** लोगों के बीच शत्रुता या घृणा को बढ़ावा देने के लिये धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के उपयोग और इसे एक राजनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं देती है।
 - जब राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए तो वैयक्तिक हमलों से बचते हुए उसे उनकी नीतियों और कार्यक्रम, वगित रिकॉर्ड तथा कार्य तक ही सीमा रखी जाएगी।
- बैठक और जुलूस:
 - पार्टियों को किसी भी बैठक के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को समय पर सूचित करेंगे ताकि पुलिस पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कर सके।
 - यदि दो अथवा दो से अधिक उम्मीदवार एक ही मार्ग से जुलूस निकालने की योजना बनाते हैं, तो राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करने के लिये पहले से संपर्क कर लेना करना चाहिये ताकि जुलूस में आपसी टकराव न हो।
 - राजनीतिक दलों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वालों को पुतले ले जाने और जलाने की अनुमति नहीं है।
- मतदान के दिन:
 - केवल मतदाताओं और चुनाव आयोग से प्राप्त वैध पास वाले लोगों को ही मतदान केंद्रों में प्रवेश करने की अनुमति है।
 - मतदान केंद्रों पर सभी अधिकृत पार्टी कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बैज अथवा पहचान-पत्र दिया जाना चाहिये।
 - उनके द्वारा मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियाँ सादे (सफेद) कागज़ पर होंगी और उनमें कोई प्रतीक, उम्मीदवार का नाम अथवा दल का नाम नहीं होगा।
 - चुनाव आयोग पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगा जिनके पास कोई भी उम्मीदवार चुनाव के संचालन के संबंध में समस्याओं की रिपोर्ट कर सकता है।
- दल सत्ता में:
 - MCC द्वारा वर्ष 1979 में सत्ता में रहे दल के आचरण को वनियमिति करते हुए कुछ प्रतिबंध लागू किये। मंत्रियों के आधिकारिक दौरों को चुनाव कार्य के साथ नहीं जोड़ना चाहिये अथवा इसके लिये आधिकारिक मशीनरी का उपयोग नहीं करना चाहिये।

MCC से संबंधित मुद्दे क्या हैं?

- प्रवर्तन चुनौतियाँ: MCC का प्रवर्तन असंगत या अपर्याप्त हो सकता है, जिससे उल्लंघन हो सकता है और वैधानिक समर्थन की कमी के कारण दंडित नहीं किया जा सकता है।
 - ECI, MCC के वैधीकरण का विरोध करता है, जिसमें लगभग 45 दिनों के भीतर चुनावों को तीव्रता से पूरा करने की आवश्यकता का हवाला दिया गया है, जिससे लंबी न्यायिक प्रक्रियाओं के कारण कानूनी प्रवर्तन अव्यावहारिक हो गया है।
- अस्पष्टता: MCC के कुछ प्रावधान अस्पष्ट या व्याख्या के लिये खुले हो सकते हैं, जिससे राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के बीच भ्रम उत्पन्न हो सकता है।
- सीमा दायरा: आलोचकों का तर्क है कि MCC के दायरे को **चुनावी फंडिंग, सोशल मीडिया के उपयोग तथा घृणास्पद भाषण सहित व्यापक मुद्दों को कवर करने के लिये विस्तारित** किया जाना चाहिये।
- समय संबंधी मुद्दे: MCC केवल चुनाव अवधि के दौरान ही प्रभावी होता है, जिससे इस अवधि के बाद कदाचार की गुंजाइश बनी रहती है।
- शासन व्यवस्था पर प्रभाव: कुछ लोगों का तर्क है कि चुनाव अवधि के दौरान सरकारी घोषणाओं और गतिविधियों पर MCC के प्रतिबंध शासन के कामकाज में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
- सुधार की आवश्यकता: MCC की कमियों को दूर करने तथा नष्टिपक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने हेतु इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिये इसमें सुधार की मांग की जा रही है।

आगे की राह

- प्रवर्तन को सुदृढ़ बनाना: सभी राजनीतिक दलों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु MCC दशा-नरिदेशों को लागू करने के लिये तंत्र को बढ़ाना।
- प्रावधानों को स्पष्ट करना: अस्पष्टता को कम करने तथा बेहतर समझ एवं अनुपालन की सुविधा के लिये MCC नियमों की स्पष्टता और विशिष्टता में सुधार करना। इस प्रकार यह एक **संहिताबद्ध और व्यापक MCC की आवश्यकता** है।
- नए ज़रूरतों के अनुसार दायरा बढ़ाना: डिजिटल प्रचार एवं चुनावी फंडिंग पारदर्शिता जैसे उभरते मुद्दों के समाधान के लिये **MCC** के कवरेज को व्यापक बनाने पर विचार करना।
- **MCC को वैध बनाना:** MCC को वैधानिक रूप से संस्थागत बनाने के प्रस्तावों का मूल्यांकन करना, इसे बड़ी हुई प्रभावशीलता और प्रवर्तनीयता के लिये वैधानिक समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है।
 - वर्ष 2013 में, **कार्मिक, लोक शकियात, कानून एवं न्याय पर स्थायी समिति** ने MCC को वैधानिक रूप से बाध्य करने और इसे RPA- 1951 में एकीकृत करने का प्रस्ताव रखा।
 - **चुनावी सुधारों पर दनिश गोस्वामी समिति (1990)** ने सुझाव दिया कि MCC की कमजोरी को वैधानिक समर्थन देकर और कानून के माध्यम से लागू करने योग्य बनाकर दूर किया जा सकता है।
- सार्वजनिक जागरूकता: मतदाताओं, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को MCC अनुपालन के महत्त्व एवं नष्टिपक्ष चुनाव को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका के बारे में शक्ति करने के लिये अभियान शुरू करने की आवश्यकता है।
- **नरिंतर समीक्षा:** उभरती चुनावी गतिशीलता और चुनौतियों से निपटने के लिये MCC के नियमिति मूल्यांकन और अनुकूलन के लिये एक रूपरेखा

स्थापति करने की आवश्यकता है।

नषिकरष

- आदरश आचार संहति (MCC) लोकतंत्र के लिये एक दशिश सूचक/मार्गदरशक के रूप में कार्य करती है, लेकनि घटती परतबिद्धता और बढ़ते उल्लंघनों के साथ चुनौतियों का सामना करती है। इसे वैध बनाने से नरिवाचन आयोग को भ्रषटाचार से नषिटने और नषिपकष चुनाव सुनशिचति करने का अधिकार मलि सकता है, जो लोकतांत्रकि प्रकरियाओं की अखंडता एवं वशि्वसनीयता को बनाए रखने के लिये आवश्यक है।

और पढ़ें- [भारत नरिवाचन आयोग में पारदरशति](#)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

Q. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2017)

1. भारत का नरिवाचन आयोग पाँच-सदसयीय नकिय है।
2. संघ का गृह मंत्रालय, आम चुनाव और उप-चुनावों दोनों के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. नरिवाचन आयोग मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के वभिजन/वलिय से संबंधति वविद नषिटाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)

??????:

Q. आदरश आचार-संहति के उदभव के आलोक में, भारत के नरिवाचन आयोग की भूमकि का वविचन कीजयि। (2022)